झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) ग्रा०– 47/2011 राँची, दिनांक –

आदेश

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध उपायुक्त, गढवा के पत्रांक– 1588 दिनांक 26.07.11 द्वारा प्रपत्र 'क' में निम्नलिखित आरोप गठित किया गया :–

भवनाथपुर प्रखण्ड के ग्राम हरिहरपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत योजना सं०–26/1996–97 बस स्टैंग में यात्री शेड़ निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। योजना की प्राक्कलन राशि 75000.00 रूपये है, जिसके कार्यान्वयन एजेंसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भवनाथपुर थे। योजना के निर्माण हेतु आपके द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया गया, जिसमें निम्न अनियमितताएँ पाई गई :–

1. आपके द्वारा उक्त योजना के निर्माण कार्य ने कनीय अभियंता श्री पंचानन्द सिंह एवं श्री गजेन्द्र सिंह के द्वारा की गई मापी पुस्त को बिना स्थानीय जाँच पड़ताल किये हुए मापी पुस्त में सत्यापित कर दिया गया, जबकि योजना निर्माण के बावजूद योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तथा एक बडी राशि का दुरूपयोग हुआ।

अतः आपके द्वारा विकास योजना में अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं अनियमितता बरती गई है।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ मे श्री देवेन्द्र कुमार सिंह से विभागीय पत्रांक– 6885 दिनांक 20.11.13 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 4334 दिनांक 13.08.15 द्वारा श्री सिंह को पुनः स्मारित किया गया ।

3. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण में श्री सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया कि योजना में कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कराया गया है। योजना के दीवार में दरार आना अथवा प्लास्टर आदि का टुट जाना सार्वजनिक स्थल पर निर्मित पक्का कार्य के बिना रख रखाव एवं मरम्मति के कारण संभव है। श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि योजना के प्रथम निर्माण कार्य के लगभग 12–13 वर्षो तक मरमति नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक स्थल पर निर्मित यात्री शेड़ के दरार आना, फर्श का टुटना एवं प्लास्टर गिरना स्वभाविक है।

4. श्री सिंह से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता (मो०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची से मंतव्य प्राप्त किया गया जो निम्नलिखित है :–

(i) किसी भी पक्के संरचना की आयु मात्र 12–13 वर्ष नहीं होती ।

(ii) यात्री शेड़ के फर्श का टुटना, प्लास्टर का झड़ना 12–13 वर्षो के समय के अन्तराल में सम्भव है पर दिवार में Vertical Crack आना निश्चित तौर पर कार्य की गुणवता विशिष्टी के मुताबिक नहीं किये जाने का प्रतिफल है।

(iii) सहायक अभियंता की जिम्मेवारी मात्र कार्य की मापी जाँचना ही नहीं बल्कि गुणवता देखना भी है तथा इसमें श्री सिंह से चुक हुई है।

5. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इसके संदर्भ में मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री

सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए श्री सिंह को निम्न लघु दण्ड दिये जाने के प्रस्ताव पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा विभागीय पत्रांक 3999 दिनांक 08.08.16 द्वारा किया गया–

(क) निन्दन।

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

6. प्रस्तावित दण्ड के संदर्भ में श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जावाब मे निम्नलिखित तथ्यों को रखा गया –

(i) योजना के दीवार में Vertical Crack आना DiFferential settlement के कारण हुआ है।

(ii) आरोप लगानेवाले अनुमण्डल पदाधिकारी, भवनाथपुर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भवनाथपुर द्वारा तकनीकी पदाधिकारी के विरूद्ध षड़यंत्र किया गया है।

7. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि निर्विवाद रूप से यात्री शेड के दिवार में Vertical Crack हुआ है और इसका एक मात्र कारण प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाना है। अतएव यात्री शेड निर्माण कार्य का उद्देश्य पुरा नहीं हो सका।

8. अतः श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता का द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकृत करते हुए उन्हें निम्नलिखित लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है:–

(i) निन्दन।

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

9. उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक –8/ज०स०(नि०) ग्रा०– 47/2011 राँची,दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक –8/ज०स०(नि०) ग्रा०– 47/2011 5770 राँची,दिनांक – 28/12/16

प्रतिलिपि – संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 5139 दिनांक 25.08.11 के क्रम में/संयुक्त सचिव, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निवारण कोषांग), झारखण्ड, राँची/श्री देवेन्द्र कुमार सिंह (तत्का० सहायक अभियंता) सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकरण प्र०सं०–3 जल भवन, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.12.16
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

E:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P singh\Office Order.docx